

Under FCRA is it allowed that the organisation receiving donation from foreign source donates this amount to other NGO ?

क्या FCRA के अंतर्गत मिला हुआ धन एक संस्था दुसरी संस्था को दान कर सकती है ?

नई संस्थाओं के पास .FCRAपंजीकरण नहीं होता । अगर वो अपने संस्था के लिये FCRA पंजीकरण होनेवाली संस्था की मध्यस्ती से विदेशी मुद्रा लेना चाहेंगे तो नयी संस्था का नुकसान नहीं होगा लेकिन जो संस्था मध्यस्त का काम करेगी उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा । क्योंकि FCRA कानून के तहत जो आखरी पानेवाला है उसके पास भी FCRA की अनुमती या पंजीकरण होना अनिवार्य है ।

अगर किसी NGO के पास FCRA अकाउंट है और वह अकाउंट में से पैसा खर्च करना है तो पैसा इसी अकाउंट से खर्च करना पडेगा । उसमें से दुसरे अकाउंट में ट्रान्सफर करके पैसा खर्च करने की कानुनन अनुमती नहीं है ।